

सहकारी फसली ऋण ऑनलाईन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019

(“सहकारी फसली ऋण पोर्टल” पर पंजीयन एवं आधार आधारित अभिप्रमाणन के पश्चात DMR के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण वितरण हेतु)

दिशा-निर्देश

राज्य सरकार द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण के संबंध में जारी सहकारी साख नीति दिनांक 11 जुलाई, 2018 एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.03.2019 के संदर्भ में फसली ऋण वितरण कार्यक्रम में स्थानीय विवेकाधीनता को समाप्त कर एकरूपी, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाने के दृष्टिकोण से किसानों को फसली ऋण आधार आधारित अभिप्रमाण के पश्चात् Digital Member Register (DMR) के माध्यम से वितरित किया जाना अपेक्षित है। सहकारी फसली ऋण प्रक्रिया में किसान से आवेदन-पत्र प्राप्त करने से लेकर नाबार्ड से पुनर्भरण प्राप्त करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को on-line किया जाना है। इसी क्रम में राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों से विचार-विमर्श उपरान्त राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., जयपुर द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण वितरण हेतु सहकारी फसली ऋण पोर्टल सृजित किया गया है जिस पर पंजीयन एवं आधार आधारित अभिप्रमाणन के पश्चात् DMR के माध्यम से फसली ऋण वितरण किया जायेगा। इस संबंध में केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स/ लैम्प्स) के लिये

निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. सहकारी फसली ऋण पोर्टल पर पंजीयन:

- (i) पोर्टल पर पंजीयन हेतु किसान को समिति का सदस्य होना आवश्यक होगा।
- (ii) समिति की सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त किसान को ग्राम सेवा सहकारी समिति से फसली ऋण प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम निर्धारित आवेदन-पत्र के अनुसार आवश्यक सूचनाएँ भरकर संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक के बी.सी. ई-मित्र पर जाकर पंजीयन (Registration) की कार्यवाही सम्पादित करनी होगी।
- (iii) निर्धारित आवेदन-पत्र संबंधित सहकारी बैंक की शाखा/ग्राम सेवा सहकारी समिति से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन-पत्र की प्रति संलग्न है।
- (iv) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सहित आधार नंबर/भामाशाह नंबर उपलब्ध करवाये जाने पर पंजीयन हेतु समिति/ई मित्र द्वारा आवेदक का आधार आधारित अभिप्रमाणन किया जायेगा।
- (v) सर्वप्रथम आवेदक किसान के आधार नंबर/भामाशाह नंबर से ऋण माफी योजना, 2018 एवं ऋण माफी योजना, 2019 के ऋण माफी पोर्टल पर उपलब्ध रिकार्ड का परीक्षण किया जायेगा।
- (vi) यदि आवेदक उक्त परीक्षण में अवधिपार ऋणी सदस्य के रूप में वर्गीकृत है तो ऐसे आवेदक किसान का पंजीयन पोर्टल पर नहीं किया जायेगा।

- (vii) ऐसे अवधिपार सदस्यों को समिति से फसली ऋण प्राप्त करने हेतु समिति में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिनपर विभागीय निर्देशानुसार ऋण स्वीकृति हेतु पृथक से विचार किया जायेगा।
- (viii) ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा ई-मित्र पर आवेदन-पत्र का पंजीकरण हो जाने के पश्चात् आवेदक को कम्प्यूटर जनित प्राप्ति रसीद दी जावेगी जिस पर यूनिक आवेदन पत्र क्रमांक (Unique Application Number) अंकित होगा जो कि इस बात का प्रमाण होगा कि आवेदक का आवेदन-पत्र समिति में पंजीकृत हो चुका है। इस यूनिक आवेदन पत्र क्रमांक का उपयोग आवेदक द्वारा भविष्य में समिति/बैंक से व्यवहार/सेवा हेतु किया जा सकेगा।
- (ix) इस संबंध में आवेदक के मोबाईल फोन पर पंजीकरण से संबंधित मैसेज भी जारी किया जावेगा।
- (x) इस सम्पूर्ण पंजीकरण की प्रक्रिया हेतु आवेदक को संबंधित समिति अथवा ई-मित्र को रुपये 25/- पंजीकरण शुल्क देना होगा।
- (xi) यह पंजीकरण सुविधा आवेदक को स्वयं की समिति में अथवा संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक के बी.सी. ई-मित्र केन्द्र पर उपलब्ध रहेगी।
- (xii) अल्पकालीन फसली ऋण साख नीति के अनुसार प्रत्येक केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा समितिवार भौतिक लक्ष्यों का वितरण किया जाना अपेक्षित है।
- (xiii) समितिवार भौतिक लक्ष्य निर्धारण हेतु समिति के कार्यक्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या, ऋण माफी योजना के उपरान्त समिति का एनपीए स्तर एवं समिति की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जायेगा।

- (xiv) लक्ष्य निर्धारण करते समय इस तथ्य का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि जिन किसानों द्वारा नियमित रूप से ऋण का चुकारा किया जा रहा है, ऐसे सदस्यों को निर्धारित पात्रतानुसार भविष्य में भी ऋण प्राप्त होता रहे।
- (xv) नये सदस्यों के लिये ऋण वितरण के भौतिक लक्ष्य निर्धारित करते समय बैंक द्वारा ऐसी समितियों को प्राथमिकता से लक्ष्य दिये जायेंगे जिनके द्वारा वर्तमान में ऋण वितरण नहीं किया जा रहा है अथवा कम किया जा रहा है। ऐसी समितियों में प्रबन्धकीय व्यवस्थाएँ सुचारु करने के उपरान्त ही ऋण वितरण का कार्य सम्पादित कराया जावे।

2. सदस्य की अधिकतम साख सीमा (Maximum Credit Limit):

- (i) अल्पकालीन फसली ऋण की अधिकतम सीमा एवं ब्याज दर भारत सरकार, राज्य सरकार एवं शीर्ष बैंक द्वारा तय नीति के अनुसार संचालित होगी।
- (ii) सदस्य का आवेदन-पत्र पंजीकृत हो जाने के पश्चात् सदस्य-वार अधिकतम साख सीमा जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसलवार निर्धारित मापदण्ड, आवेदक की भूमि का आकार एवं आवेदक द्वारा बोई जाने वाली फसलों के आधार पर खरीफ तथा रबी फसल हेतु पृथक-पृथक सहकारी फसली ऋण पोर्टल पर स्वतः सृजित होगी।
- (iii) संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा स्वयं की ID से अधिकतम साख सीमा के संबंध में अग्रिम कार्यवाही पोर्टल पर की जा सकेगी।



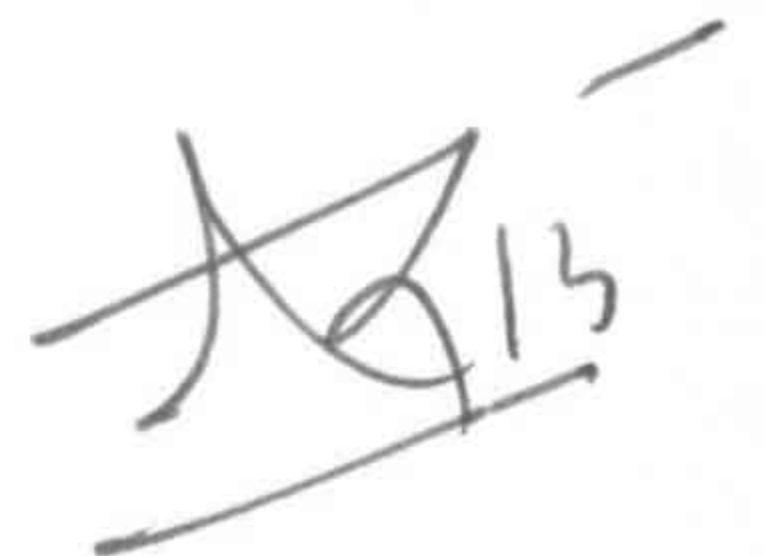
- (iv) समिति व्यवस्थापक द्वारा पोर्टल पर पंजीकृत सदस्यों की सृजित अधिकतम साख सीमा समिति के संचालक मण्डल के निर्णयानुसार व्यवस्थापक द्वारा पात्रता के आधार पर स्वीकृत की जावेगी।
- (v) व्यवस्थापक द्वारा सदस्यों की पात्रता के अनुसार अधिकतम साख सीमा स्वीकृत कर बैंक की संबंधित शाखा को on-line प्रेषित की जावेगी।
- (vi) जिन आवेदकों की अधिकतम साख सीमा समिति द्वारा स्वीकृति योग्य नहीं पायी जाती है, उनके संबंध में व्यवस्थापक द्वारा कारण अंकित करते हुये असहमति पोर्टल पर प्रस्तावित की जावेगी।
- (vii) MCL स्वीकृति/अस्वीकृति की समस्त कार्यवाही समिति को 10 दिवस में पूर्ण करनी होगी। 10 दिवस में समिति द्वारा कोई स्वीकृति अथवा असहमति प्रेषित नहीं की जाती है तो पोर्टल पर पंजीकृत समस्त आवेदकों की अधिकतम साख सीमा समिति स्तर से स्वीकृत मानते हुये शाखा द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।
- (viii) समिति द्वारा जिन पंजीकृत आवेदकों की अधिकतम साख सीमा के संबंध में असहमति प्रस्तावित की जाती है, उनके परीक्षण के संबंध में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार प्रत्येक शाखा स्तर पर **Grievance Redressal Authority (GRA)** की नियुक्ति की जावेगी।
- (ix) GRA द्वारा प्रकरणों का परीक्षण कर समिति को युक्तियुक्त अभिशंषा प्रेषित की जावेगी। तदनुसार समिति द्वारा इन प्रकरणों में अधिकतम साख सीमा स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।
- (x) उक्त प्रकार से स्वीकृत अधिकतम साख सीमा पांच वर्ष के लिये मान्य होगी।

3. केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा समिति की अधिकतम साख सीमा (Maximum Credit Limit) स्वीकृति:

- (i) सदस्य किसानों की स्वीकृत अधिकतम साख सीमा के आधार पर समिति अपनी अधिकतम साख सीमा संबंधित बैंक से स्वीकृत करवा सकेगी।
- (ii) समिति अपनी अधिकतम साख सीमा स्वीकृत कराने हेतु नियमानुसार बैंक शाखा को निवेदन करेगी। यह समस्त कार्यवाही संचालक मण्डल के निर्णयानुसार व्यवस्थापक द्वारा on-line सम्पादित की जावेगी।
- (iii) समिति से on-line आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित शाखा प्रबन्धक द्वारा परीक्षणोपरान्त समिति की अधिकतम साख सीमा स्वीकृति हेतु अभिशंषा सहित बैंक के प्रबन्ध निदेशक को प्रेषित की जायेगी।
- (iv) प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियमानुसार समिति की अधिकतम साख सीमा स्वीकृत कर संबंधित शाखा के माध्यम से समिति को प्रेषित की जावेगी।

4. दस्तावेजीकरण (Documentation):

- (i) बैंक द्वारा समिति की अधिकतम साख सीमा स्वीकृति उपरान्त समिति द्वारा जिन सदस्यों की अधिकतम साख सीमा स्वीकृत की गयी है उन सदस्यों को ऋण अग्रिम से पूर्व आवश्यक प्रपत्रों का दस्तावेजीकरण करवाया जायेगा। इस हेतु सदस्य को वचन-पत्र, ऋण-पत्र (बॉण्ड-पत्र) एवं प्रतिभूति पत्र हस्ताक्षरित कर समिति में जमा कराने होंगे।



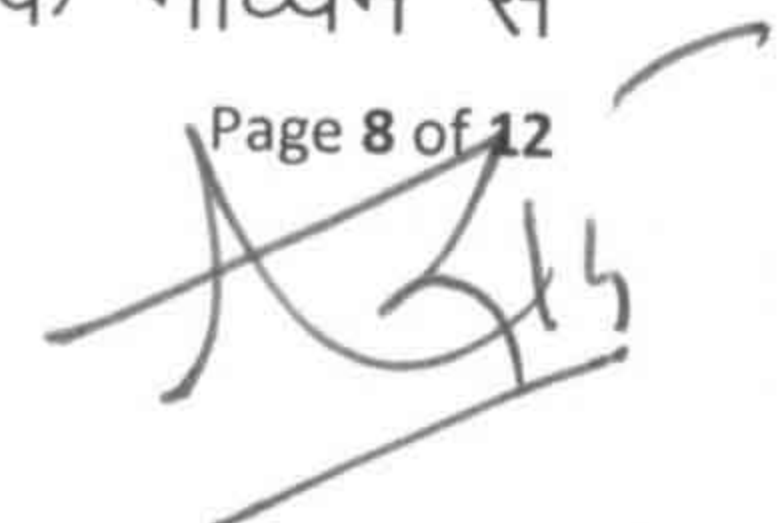
- (ii) समिति के पुराने ऋणी सदस्य जिनके द्वारा नियमानुसार दस्तावेजीकरण की कार्यवाही पूर्व में सम्पादित की जा चुकी है उन्हें पुनः दस्तावेजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है।
- (iii) इसी प्रकार दस्तावेजीकरण की कार्यवाही समिति एवं बैंक के मध्य नियमानुसार सम्पादित की जावेगी।

5. स्वीकृत ऋण राशि का भुगतान:

- (i) दस्तावेजीकरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् समिति के आवेदन पर किसान की स्वीकृत अधिकतम साख सीमा में से बैंक में उपलब्ध वित्तीय संसाधन एवं निर्धारित पात्रतानुसार शाखा द्वारा ऋण स्वीकृत कर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- (ii) इस हेतु किसान को बैंक की संबंधित शाखा/समिति/बी.सी.ई-मित्र में जाकर आधार आधारित अभिप्रमाणन करवाना होगा।
- (iii) आधार आधारित अभिप्रमाणन के साथ ही पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेजीकरण प्रपत्रों पर भी on-line हस्ताक्षर करेगा।
- (iv) आधार आधारित अभिप्रमाणन के पश्चात् शाखा द्वारा सदस्य की अधिकतम साख सीमा में से बैंक द्वारा निर्धारित ऋण स्वीकृत कर **DMR** में अंकित किया जायेगा। Digital Member Register (DMR) बैंक सीबीएस पर PACS/LAMPS के ऋणी सदस्यों की ऋण से संबंधित विभिन्न जानकारीयों से संबंधित शाखा स्तर पर संधारित होने वाला एक कम्प्यूटरीकृत दस्तावेज है जो कि प्रत्येक फसल चक्र पर वितरित फसली ऋण के लिये पृथक-पृथक तैयार किया जाता है।



- (v) शाखा द्वारा उपलब्ध नगद संसाधनों के अनुसार समिति के सदस्यों को DMR से ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा एवं इसका सदस्य के मोबाईल पर भी संदेश दिया जायेगा।
- (vi) समिति द्वारा नियमानुसार समिति स्तर की हिस्सा राशि बैंक शाखा में जमा करने के उपरान्त समिति को फसली ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।
- (vii) सदस्यों को ऋण राशि उपलब्ध करवाने से पूर्व नियमानुसार सदस्य की हिस्सा राशि समिति में जमा करने की जिम्मेदारी समिति की होगी।
- (viii) यदि किसी सदस्य की नियमानुसार हिस्सा राशि जमा नहीं है अथवा कम जमा है तो ऋणी सदस्य द्वारा आवेदन में दी गयी सहमति के अनुसार संबंधित शाखा द्वारा किसान के पक्ष में स्वीकृत ऋण राशि में से नियमानुसार आवश्यक हिस्सा राशि की कटौति कर संबंधित समिति एवं सदस्य के खाते में समायोजन किया जा सकेगा।
- (ix) इस हेतु समिति द्वारा सदस्यों को बैंक शाखा से ऋण उपलब्ध करवाये जाने से पूर्व सदस्यों की समिति में जमा हिस्सा राशि की विगत पोर्टल पर अंकित करवानी होगी।
- (x) सदस्य की हिस्सा राशि समिति में जमा होने के बावजूद समिति द्वारा पोर्टल पर सदस्य की हिस्सा राशि अंकित नहीं करवाये जाने की स्थिति में सदस्य की हिस्सा राशि शून्य मानते हुये स्वीकृत ऋण में से कटौति कर ऋण वितरण की कार्यवाही की जायेगी एवं पूर्व में जमा हिस्सा राशि सदस्य को समिति द्वारा वापिस लौटानी होगी।
- (xi) सदस्य स्वीकृत ऋण राशि रूपे किसान डेबिट कार्ड के माध्यम से ATM से प्राप्त कर सकेगा अथवा समिति में FIG के माध्यम से



प्राप्त कर सकेगा अथवा बैंक की संबंधित शाखा से नकद आहरित कर सकेगा।

- (xii) सदस्य द्वारा ऋण राशि आहरित करने के दिनांक से आहरित राशि ऋण खाते में दर्ज होगी तथा आहरित तिथि से किसान को ऋण राशि पेटे ब्याज का भुगतान करना होगा।

6. ऋण राशि जमा उपरान्त पुनः ऋण प्राप्त करना:

- (i) ऋणी सदस्य अल्पकालीन फसली ऋण की देय तिथि से पूर्व ऋण राशि जमा करवाने के लिये स्वतंत्र होगा परन्तु बैंक द्वारा पुनः ऋण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।
- (ii) देय तिथि तक ऋण राशि जमा नहीं करवाने की स्थिति में ऋणी सदस्य अवधिपार श्रेणी में वर्गीकृत हो जायेगा एवं नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी।
- (iii) ऋणी सदस्य संबंधित बैंक की शाखा में ऋण राशि जमा करवा सकता है अथवा संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में FIG के माध्यम से ऋण राशि जमा करवाकर कम्प्यूटर जनित रसीद प्राप्त कर सकता है अथवा समिति में राशि जमा करवाकर समिति की रसीद प्राप्त कर सकता है।
- (iv) ऋणी सदस्य द्वारा समिति में वसूली पेटे नकद राशि जमा करवाकर समिति से रसीद प्राप्ति की दशा में समिति व्यवस्थापक को उसी दिन वसूली की राशि बैंक शाखा में ऋणी सदस्य के ऋण खाते में जमा करवानी होगी। समिति द्वारा शाखा में विलम्ब से वसूली राशि जमा करवाने पर होने वाले ब्याज की हानि की जिम्मेदारी समिति व्यवस्थापक की होगी।



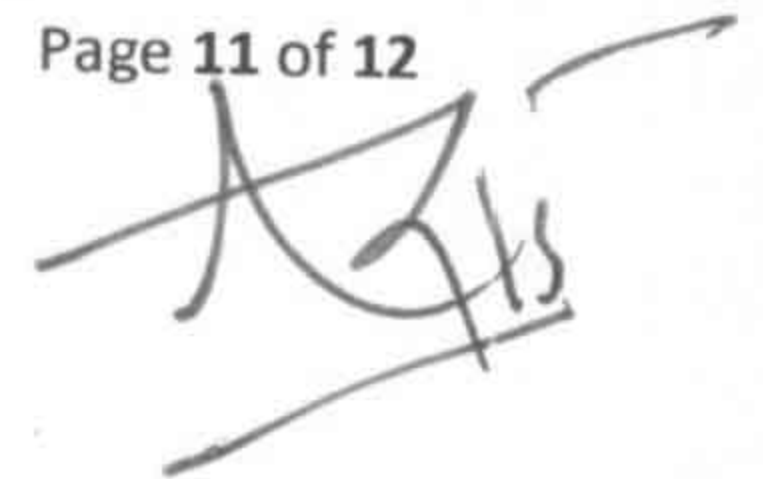
- (iii) प्रायः यह देखा गया है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा शीर्ष बैंक से पुनर्भरण प्राप्त करने में एवं शीर्ष बैंक के द्वारा नाबार्ड से पुनर्भरण प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है, परिणामस्वरूप बैंकों को ब्याज की हानि होती है। यदि सम्पूर्ण व्यवस्था में हुई इस हानि का आंकलन किया जावे तो यह राशि करोड़ों रुपये में आंकी जायेगी। अतः इसका निदान आवश्यक है।
- (iv) यदि पुनर्भरण की इस व्यवस्था को शाखा में संधारित पैक्स के लिमिट खाते/DMR से जोड़ दिया जावे तो on-line व्यवस्था के तहत प्रतिदिन के आधार पर पुनर्भरण प्राप्त किया जाना संभव है एवं बैंकों को ब्याज की हानि से बचाया जा सकता है।
- (v) इसी प्रकार राजस्थान सरकार/भारत सरकार से ब्याज अनुदान पुनर्भरण व्यवस्था को शाखा में संधारित पैक्स के लिमिट खाते/DMR से जोड़कर कारगर बनाया जा सकता है।

8. स्पष्टीकरण एवं निर्वचन:

- (i) अल्पकालीन फसली ऋण वितरण व्यवस्था को on-line करने की व्यवस्था के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण अल्पकालीन फसली ऋण नीति 2018 के प्रावधानों के संदर्भ में किया जा सकेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई के निवारण के संबंध में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

9. समस्याओं के निराकरण हेतु नियंत्रण कक्ष:

- (i) सहकारी ऋण माफी पोर्टल पर पंजीयन एवं ऋण वितरण प्रक्रिया से संबंधित तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु श्री सी.एम. भारद्वाज, महाप्रबन्धक(ईडीपी) एवं (लेखा एवं वित्त) नोडल



अधिकारी होंगे। श्री आर.के.पाटनी, उप महाप्रबन्धक, बैंकिंग से संबंधित कार्य के लिये सहायक नोडल अधिकारी होंगे एवं तकनीकी समस्या निराकरण के लिये श्री विनोद कुमार मिश्रा, वरिष्ठ प्रबन्धक(ईडीपी) सहायक नोडल अधिकारी होंगे। शीर्ष बैंक स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जायेगी। नियंत्रण कक्ष में पैक्स, ई-मित्र एवं राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों से प्राप्त होने वाली समस्याओं को संग्रहित कर नोडल अधिकारी के माध्यम से संबंधित अनुभागों से विचार-विमर्श उपरान्त इनका निवारण करवाया जायेगा।

- (ii) श्री पी.सी.जाटव, महाप्रबन्धक(आ.वि.) एवं (नि.प.) योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल अधिकारी होंगे। श्री पी.के. नाग, उपमहाप्रबन्धक(आ.वि.), सहायक नोडल अधिकारी होंगे।
- (iii) इसी प्रकार केन्द्रीय सहकारी बैंकों के स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे।

10. प्रचार-प्रसार:

- (i) नवीन व्यवस्था को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता के मध्य-नजर विभागीय स्वीकृति उपरान्त इस हेतु प्रचार-प्रसार फण्ड का सृजन किया जायेगा। शीर्ष बैंक एवं सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक इस फण्ड में अंशदान करेंगे।

उक्त योजना सक्षम स्तर से स्वीकृत है।

- 0 -


17/5/19

Page 12 of 12

(बी. राम)

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)
सहकारी समितियों, राजस्थान, जयपुर

अल्पकालीन फसली ऋण आवेदन-पत्र

(समिति/ई-मित्र पर जाकर फसली ऋण पोर्टल पर पंजीयन कराने के पश्चात् यह फार्म समिति में जमा करावें)

1. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., शाखा
2. कृषक सदस्य का नाम:..... सदस्यता क्रमांक.....
3. बीमा क्लेम हेतु नोमिनी का नाम :..... कृषक से संबंध.....
4. ग्राम तहसील विधानसभा क्षेत्र
5. आर्थिक समूह: (एपीएल/बीपीएल/अन्त्योदय)
6. मोबाईल नंबर:
7. आधार नंबर:
8. भामाशाह नंबर:
9. पैन कार्ड नंबर (यदि हो):
10. सहकारी बैंक बचत खाता नंबर: IFSC No.....
11. भूमि का विवरण (जमाबंदी की प्रति पंजीयन के समय उपलब्ध करावें):

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल भूमि (हैक्टेयर में)	सिंचित भूमि	असिंचित भूमि	सिंचित भूमि में आवेदक का हिस्सा	असिंचित भूमि में आवेदक का हिस्सा
1							
2							
3							
4							

12. बोई जाने वाली फसल का विवरण:

क्र. सं.	भूमि क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	सिंचित / असिंचित	बोई जाने वाली फसल का नाम	खरीफ / रबी

13. इस समिति एवं अन्य बैंकों से लिये गये फसली ऋण / केसीसी ऋण का विवरण:

क्र. सं.	समिति / बैंक / संस्था का नाम	स्वीकृत ऋण राशि	वर्तमान में बकाया ऋण राशि	
			अनावधिपार राशि	अवधिपार राशि
1				
2				
3				
4				

14. मैं समिति/बैंक में लागू राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना एवं अन्य अनिवार्य बीमा योजनाओं में सम्मिलित होने की सहमति देता हूँ एवं नियमानुसार मेरे ऋण खाते को नामे करते हुए बीमा कम्पनी को बीमा प्रीमियम राशि भिजवाने हेतु संबंधित समिति/बैंक को अधिकृत करता हूँ।
15. मैं समिति/बैंक को निर्धारित हिस्सा राशि चुकाने के लिये सहमत हूँ और यदि मेरे द्वारा ऋण वितरण से पूर्व हिस्सा राशि नहीं चुकाई जाती है तो समिति/बैंक को मेरे पक्ष में स्वीकृत ऋण राशि में से निर्धारित आवश्यक हिस्सा राशि कटौती कर समायोजित करने के लिये अधिकृत करता हूँ।
16. मेरे परिवार (पति/पत्नी एवं आश्रित बालिग बच्चे) में से एक ही के द्वारा फसली ऋण समिति से प्राप्त किया जा रहा है।
17. मैं, मेरे स्वयं के हिस्से की उक्त वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होना प्रमाणित करता हूँ।

प्रमाणन

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनायें सत्य एवं प्रमाणित हैं। सूचनायें असत्य पाये जाने पर समिति/बैंक मेरे विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होंगे। मैं उक्त वर्णित भूमि बेचान किये जाने से पूर्व समिति से ऋण चुकारा कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करूंगा/करूंगी।

प्रार्थी का नाम:

हस्ताक्षर